आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

छात्रगृह किराया सहायता योजना एवं दिशा–निर्देश

1. योजना का उद्देश्यः–

राजस्थान राज्य के **अनुसूचित क्षेत्र** के जनजाति छात्र/छात्राओं को, उच्च शिक्षा में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने हेतु प्रेरित करना। उन छात्र/छात्राओं को किराये के मकान में रहकर नियमित अध्ययन करने हेतु प्रेरित करना, इस योजना के तहत गृह किराया राशि उपलब्ध कराया जाना। उक्त योजना के तहत जनजाति के छात्र/छात्राओं को अधिकतम 5 वर्ष तक सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

2. नाम एवं प्रभावित क्षेत्र

- योजना का नाम जनजाति छात्र/छात्राओं को छात्रगृह किराया योजना होगा।
- योजना राजस्थान के केवल अनुसूचित क्षेत्र के विद्यार्थियों, जो राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है उन छात्र/छात्राओं पर लागू होगी ।

3. परिभाषाएँः–

- राज्य सरकार से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है ।
- विभाग से तात्पर्य जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान से है ।
- आयुक्त से तात्पर्य आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर से है ।
- सामान्य शिक्षा से तात्पर्य कला, वाणिज्य एवं विज्ञान में स्नातक शिक्षा हेतु नियमित अध्ययन से है ।

4. योजना के अन्तर्गत देय लाभ (नकद राशि) –योजना के अनुसार मकान किराया हेतु सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी –

क.	स्थान	अवधि	दर प्रतिमाह प्रति छात्र–छात्रा	राशि (10 माह की राशि)
1	संभाग मुख्यालय	10 माह तक	500.00	5000.00
2	जिला मुख्यालय	10 माह तक	400.00	4000.00
3	अन्यत्र स्थान	10 माह तक	300.00	3000.00

5.पात्रता :– छात्र/छात्रा द्वारा निम्न शर्तो की पूर्ति करने पर ही योजना का लाभ देय होगाः–

- जनजाति छात्र/छात्राएं जो राजकीय महाविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोतर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।
- छात्र/छात्रा राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्धित होनी चाहिए।
- छात्र/छात्रा के माता पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति आयकर दाता न हो।

- योजना हेतु आवेदनकर्ता छात्रा के बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् आगे निरन्तर अध्ययन में अन्तराल (गेप) नही होना चाहिए।
- जो छात्र/छात्रा सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे है। उन्हे उक्त योजना में लाभ देय नही होगा।
- छात्र/छात्रा राजस्थान की मूल निवासी हो।
- वैद्य भामाशाह कार्ड एव आधार कार्ड होना चाहिए।

6. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेजः–

- छात्रा के माता–पिता/पति/अभिभावक/संरक्षक का आयकरदाता नही होने बाबत निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा–पत्र सक्षम स्तर से प्रमाणित हो ।
- छात्र/छात्रओं द्वारा स्वंप्रमाणित किराये पर मकान लेकर अध्ययन करने का प्रमाण–पत्र/किराया रसीद की प्रति।

7. आवेदन प्रकिया –

- जनजाति छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाईन भरकर भामाशाह कार्ड के साथ विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट **www.tad.rajasthan.gov.in** के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES लिंक पर ऑनलाईन भरे जा सकते है। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत विवरण व दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाईट **www.tad.rajasthan.gov.in** पर देखे जा सकते है।
- छात्रा वर्तमान में जिस महाविद्यालय मे अध्ययनरत है। उस महाविद्यालय द्वारा छात्राओं से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की गहन जॉचकर प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारियों (परियोजना अधिकारी, टीएडी व सहरिया/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद) को भिजवाया जाएगा।
- स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑनलाईन स्वीकृति जारी की जाएगी। अपूर्ण आवेदन पत्र को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओं /विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (पुनः फारवर्ड) किया जाएगा।

8. भुगतान प्रक्रिया :–

- स्वीकृतशुदा समस्त आवेदन पत्रों को जिला कार्यालय द्वारा जॉच उपरान्त सम्बन्धित जिले के ट्रेजरी में भुगतान हेतु प्रेषित किया जाएगा।
- पारितशुदा बिलों की राशि ट्रेजरी द्वारा विद्यार्थियों/विद्यार्थियों के परिवार के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में हस्तान्तरित की जाएगी।

आयुक्त